प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्टल एवं आवास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 124/2018/2121/71-2-2018-केजीएमयू-4/2013, दिनांक 27-9-2018 के क्रम में अवगत कराना है कि के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्टल एवं आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 639.77 लाख के सापेक्ष अबतक निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा कुल रू0 609.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	333/71-2-2013-केजीएमयू-4/2013, दिनांक 15-3-2013	197.41
2	88/2015/3418/71-2-15-केजीएमयू-4/2013, दिनांक 02-11-15	233.93
3	95/2015/3985/71-2-15-केजीएमयू-4/2013, दिनांक 02-11-15	62.19
4	124/2018/2121/71-2-18-केजीएमयू-4/2013, दिनांक 27-9-18	115.53
	योग-	609.06

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्टल एवं आवास के निर्माण हेतु रू0 30.71 लाख (रूपया तीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0 लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकार तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1970(1)/दस-2018, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- /2018/2908(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-53 लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।